राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः—प.8(45)नविवि / रा.आ.म. / 2021 जयपुर, दिनांकः 10 FEB 2022

—ःअधिसूचनाः—

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम सेवारामपुरा, जिला टोंक में आवासीय योजना बनाये जाने हेतु केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 599 बीघा 11 बिस्वा भूमि को अवाप्त किये जाने की अधिसूचना क्रमांक प.7(6)नविवि / 3 / 2010 दिनांक 15.02.2011 को एवं धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 15.04.2013 को जारी की गई थी। तत्पश्चात् इस संबंध में अवार्ड दिनांक 01.03.2017 को जारी किया जा चुका है।

उक्त अधिसूचनाओं में ग्राम सेवारामपुरा, जिला टोंक के आराजी खसरा संख्या 38, 39 व 41 की कुल 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि, जो कि अवाप्ति में सहवन से सम्मलित होने के कारण राजस्थान राजपत्र में अंकित हो गई थी। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 14.09.2021 के क्रम में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न खसरों की भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया जाता हैः—

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (बीघा—बिस्वा)	भूमि का विवरण
1	मूल्या पुत्र छोटू माली सा. टोंक खातेदार मैसर्स सुजूकी टेक्सटाईल लिमिटेड ग्राम गुढा जिला भीलवाडा, खातेदार (औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीज 39 वर्ष)	38	0—15	बारानी 1
		39	0—12	बारानी 1
		41	5—00	बारानी 1
			कुल= 6 बीघा—07 बिस्वा	

उक्त खातेदारों को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। तदानुसार ही अवार्ड में आवश्यक संशोधन माना जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

10/2/2022

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।
4. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 15/2022 दिनांक 04.02.2022 के क्रम में।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र मे प्रकाशन से संबंधित कार्यवाही व वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

10/2/2022

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय